बतौर

मुकदमा 48(2) 49 RT नम्बर 20 / 2017 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/4/17	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र 48(2) 49 जरिये वकील अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें । मिसल दिनांक 13.4.17 को पेश हो । Rk सहायक कलेक्टर बाप (जि. जोधपुर)	
13/4/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री मदन गोपाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी के नाम तामीली का इंतजार है। मिसल दिनांक 20/4/17 को पेश हो। Rk	
20/4/17	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री [illegible] ने वकालतनामा व जवाब पत्र पेश किया। श्री के पानी ने वकालतनामा व जवाब पत्र पेश किया। मिसल इंतजार जवाब अप्रार्थी सं. 1 जो शामिल नियाद किया। मिसल दिनांक 26/4/17 को पेश हो। Rk	
26/4/17	राज्य सरकार [illegible] कलक्टर महोदय [illegible] राजस्व प्रकरणों [illegible] पत्रावली व्यास आपके [illegible] ग्रा.पं. [illegible] की मुख्य [illegible] केन्द्र पर दिनांक 4/5/17 को पेश हो । Rk सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) बाप (जोधपुर)	NOT PRESS RSR
4/5/17	पत्रावली राजस्व [illegible] पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। कम्प दर की मुख्य पर चर्चा हुई। वकील प्रार्थी ने पत्र जारी Not Press शामिल किये। वकील प्रार्थी ने पत्र जारी किया। वकील प्रार्थी की इच्छानुसार जो हक निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने Not Press शामिल किया। प्रार्थी पत्र पत्र जारी Not Press शामिल किया। प्रार्थी पत्र [illegible] है। मिसल [illegible] पत्र [illegible] पोषित [illegible] है। [illegible] Rk (राजेन्द्र कुमार डांगा) RAS.	